अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13 / 1 / 3 / डब्लू.पी. / वीएस / डीईएस / 2013 / 7642-75 दिनांकः 3/3/2015

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं,
उप / सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
जिला.......................................

विषयः– चिकित्सालयों सी.एच.सी. / पी.एच.सी. में सृजित स्थानीय जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) की अधिकारिता बाबत्।

सन्दर्भः– निदेशालय का पत्रांक 11740–72 दिनांक 12.03.2013 एवं पत्रांक 44310–42 दिनांक 27.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा जिन चिकित्सालयों, सी.एच.सी. / पी.एच.सी. में सृजित स्थानीय जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीरण केन्द्रों द्वारा किये जाने वाले रजिस्ट्रेशन कार्य हेतु नियुक्त उप रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को निर्देशित किया गया था कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) एवं धारा 23(2) के अन्तर्गत जिस चिकित्सा संस्थान / सी.एच.सी. / पी.एच.सी. में रजिस्ट्रेशन सेन्टर खोला गया है, वहाँ केवल उस संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म / मृत्यु / मृत जन्म की घटनाओं का ही रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा। इन रजिस्ट्रेशन केन्द्रों में केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में ही घटनाओं का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। 21 दिवस पश्चात् स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) द्वारा घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले के समस्त अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी / रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय,

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,जयपुर